प्राक्कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन का भाग 'क' वाणिज्यिक कर/मूल्य संवंर्धित कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वन एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम को दर्शाता है।

प्रतिवेदन का भाग 'ख' वन विभाग के व्यय की लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये प्रेक्षणों को दर्शाता है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था।